Export of Foodgrains from Visakhapatnam Port

906. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the quantity of foodgrains exported from Visakhapatnam Port in 1994-95;

(b) whether foodgrain exports have registered an increase in 1995-96 from Visakhapatnam; and

(c) if so, the details of foodgrain exports in 1995-96 upto October 31, 1995 from Visakhapatnam?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. RAJASEKARA MURTHY): (a) During the year 1994-95, a quantity of 6,940 tonnes of foodgrains (Rice) was exported.

(b) and (c) Yes, Sir. A quantity of 1,51,203 tonnes of foodgrains (Rice) has been exported from Visakhapatnam Port during 1995-96 i.e. upto 31st October, 1995.

दिल्ली में मिलावटी पेट्रोल की बिक्री के संबंध में शिकायतें

907. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह** :

श्री नागमणि :

क्या प्रट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत छह माह के दौरान दिल्ली में मिलावटी और कम तोल के पेट्रोल की बिक्री के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी शिकायतों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या इस संबंध में इन पेट्रोल पम्पों की कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले, और

(ड.) पेट्रोल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के दोषी मालिकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) से (ड.) तेल कंपनियों को गत छः माह के दौरान दिल्ली में मिलावटी प्रेट्रोल की बिक्री के संबधं में एक शिकायत तथा प्रेट्रोल को कम मापने के सबंध में तीन शिकायतें मिलीं । शिकायतें प्राप्त होने पर जांच-पड़ताल की गई थी तथा उनमें से कोई भी शिकायत सिद्ध नहीं हुई थी ।

नदियों में अशोधित अपशिष्ट पदार्थों का बहाया जाना

908. **श्री चौधरी हरमोहन सिंह** :

श्री नागमणि :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों के आसपास स्थित औद्योगिक एककों द्वारा अशोधित अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में बहाया जाना अभी भी जारी है, हालांकि ऐसा करना वर्जित है,

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप नदियों का जल और अन्य जल स्त्रोत अत्यधिक प्रदूषित हो गये हैं,

(ग) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) उद्योगों द्वारा अशोधित अपशिष्ट पदार्थों का बहाया जाना रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने पर विचार किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): (क) से (ग) सूचना दी गई है कि गंगा नदी में अपना बहि:स्त्राव निस्तारित करने वाले 68 प्रमुख उद्योगों में से 55 उद्योगों ने बहि:स्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित कर लिए हैं तथा 13 उद्योगों को बंद कर दिया गया है । तथापि,निम्नलिखित इकाइयों का संचालन संतोषजनक नहीं हैं, आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर, करमचंद थापर ब्रदर्स का यूनिट, उन्नाव, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम बरौनी, इस्टर्न डिस्टिलरी, कलकत्ता, गुलमोहर पेपर लि. कलकत्ता और इण्डियन पेपर एंड पल्प लि. हाजीनगर ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 133 ऐसे उद्योग हैं जो अपने बहि:स्त्राव का निस्तारण यमुना और इसकी सहायक नदियों में करते हैं तथा वे